

Solemnly affirm/Oath before me Sr...
in the Tah.-Tulsipur Distt.-Balrampur which
has been identified by Sr...
who is known to me personally contents
explained to the deponent who admits them
to be true

S No. 1670
Date 18/10/23

Sangam Lal Mishr
NOTARY Advocate
Tah.-Tulsipur
Distt.-Balrampur

S.L.
18-10-23

(2)

(E) That the presence of applicant outside India may not or is not likely to prejudice the friendly relations of India with any foreign country.

(F) That the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application not being convicted by a court in India for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than two years.

(G) That the proceeding in respect of any offence of any offence alleged to have not been committed by the applicant are pending before a criminal court in India.

(H) That a warrant or summons for appearance, or warrant for the arrest, of the applicant has not been issued by a court under any law of the time being in force or that an order prohibiting the departure from India of the applicant has not been made by any such court.

(I) That the applicant has not been repatriated.

(J) That there is no possibility of arising embarrassing position before Government of U.P. due to my visit to any foreign Country.

(K) That issue of "Identity Card" for obtaining a passport was never applied by the applicant earlier.

(L) That I have not visited any foreign Country earlier.

Place:- Teh. Tulsipur Dist. Balrampur

Date- 18.08.2023

(Vinesh Kumar)
(Deponent)

Verification

It is verified on 18.08.2023 at Teh-Tulsipur District Balrampur that contents of the above mentioned affidavit are true and correct and nothing has been concealed.

(Vinesh Kumar)
(Deponent)

[Signature]
18.08.23

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES

कोषागार, बलरामपुर-79
27 MAR 2023
RS-10
भारतीय गैर न्यायिक कोषागारी

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

64AE 749543

किरायानामा

श्रीमती फरीदा पत्नी अतीकुर्रहमान निवासिनी बैरागी पुरवा मार्ग निकट तहसील तुलसीपुर प्रथम पक्ष/फ्लेट मालिकिन एंव विनेश कुमार पुत्र ऋषी पाल सैनी निवासी ग्राम सलेमपुर गाडा सधौली कदीम सहारनपुर उत्तर प्रदेश पिन कोड न0 247121 द्वितीय पक्ष/ किरायेदार

विदित हो कि मुझ प्रथम पक्ष का एक किता फ्लैट, फ्लैट फ्लोर स्थित बैरागी पुरवा मार्ग तुलसीपुर मे स्थित है उक्त फ्लेट 3 बी0 एच0के0 को द्वितीय पक्ष/किरायेदार किराये पर ले रहा है उक्त फ्लैट में पंखे, ट्यूबलाइट आदि लगे हुये है, जिसकी हम दोनों पक्षों के मध्य निम्नलिखित शर्तें तय हुई है:

1. यह कि प्रथम पक्ष ने उक्त फ्लैट को द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह 15,000/- रूपये किराये पर दिया है तथा एक माह का एडवांस 15000/- व एक माह का रनिंग किराया 15000/- रूपये दिया जा रहा है तथा मंटेन्स का चार्ज 500/- रूपये किराये में किराये में सम्मिलित करके कुल 15,500/- रूपये प्रतिमाह अदा करेंगा।
2. यह कि उक्त फ्लैट की किरायेदारी दिनांक 08.05.2023 से शुरू हो रहा है।
3. यह कि उक्त फ्लैट 11 माह के लिये किरायेदारी पर दिया जा रहा है।
4. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त फ्लैट अपने निवास हेतु किराये पर ले रहा है।
5. यह कि द्वितीय पक्ष को फ्लैट के अंदर कोई भी तोड फोड या रद्दो बदल का कोई अधिकार नहीं होगा। कोई टूट फूट होती है उसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
6. यह कि उक्त फ्लैट में द्वितीय पक्ष को कोई शिकमी किरायेदार आबाद करने का अधिकार कतई नहीं होगा फ्लैट खाली करते समय कब्जा व दखल प्रथमपक्ष को देना अनिवार्य होगा।
7. यह कि उक्त फ्लैट में द्वितीय पक्ष कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, गैर-कानूनी हो। यदि कोई गैर कानूनी कार्य करता है तो उसकी सा जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
8. यह कि उक्त फ्लैट में बिजली का खर्चा द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10

TEN
RUPEES

कोषागार, बलरामपुर-79

27 MAR 2023

PS 10
पुष्पा गौड़गार, कोषागारी

INDIA NON JUDICIAL

(2)

उत्तर प्रदेश NATTAR PRADESH

64AE 749544

- उत्तर प्रदेश द्वितीय पक्ष 11 माह से पहले उक्त फ्लैट को खाली करता है तो उन्हें प्रथम पक्ष को एक माह पहले सूचना देनी होगी। यदि फ्लैट मालिक को उक्त फ्लैट की आवश्यकता होती है, तो वह द्वितीय पक्ष को एक माह पहले सूचित करेगा।
10. यह कि 11 माह के बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर एग्रीमेंट फिर से 11 माह के लिये किराये में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुये नवीनीकृत किया जा सकता है।
 11. यह कि उक्त फ्लैट को प्रथमपक्ष द्वितीय पक्ष को जिस हालत में दे रहे है उसी हालत में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को वापस देंगे।
 12. यह कि द्वितीय पक्ष यदि किसी संस्था, व्यक्ति अथवा अन्य स्रोतों से अपने किसी भी कार्य के लिये ऋण आदि लेता है तो उसे चुकाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की ही होगी। इसमें प्रथम पक्ष फ्लैट मालिक का कोई भी सम्बन्ध नहीं होगा।

अतः यह किरायानामा आज दिनांक 12.05.2023 को खूब सोच समझकर बिना बहकाये फुसलाये उभय पक्ष ने लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आये।

गवाह

1. अलय अकारुतुत

फ्र 20/5/ हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

2. A.K.12

Tulsipur

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष